

N.S.C.

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

12-06-2014

श्री राकेश कुमार सिंह, पिता-स्व० सुखदेव प्रसाद, सा०-महेश नगर, रोड नं०-04, सुमित्रा पैलेस, पो०-केसरी नगर, थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-719/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदारी एवं जमीन की खरीद-बिक्री करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-327/गो०, दिनांक-12.02.2014 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्रा के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी एवं जमीन की खरीद-बिक्री करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र अधिनियम 1952 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री राकेश कुमार सिंह, पिता-स्व० सुखदेव प्रसाद, सा०-महेश नगर, रोड नं०-04, सुमित्रा पैलेस,

पो०-केसरी नगर, थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मीथे एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।


श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कठू चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।